

निदेशक मण्डल, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद की

252वीं बैठक दिनांक 17 मार्च, 2021 का कार्यवृत्त

विषय सूची

मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
252/1	परिषद की 251वीं बैठक दिनांक 12 नवम्बर, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 251वीं बैठक दिनांक 12 नवम्बर, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
252/2	परिषद की 251वीं बैठक दिनांक 12 नवम्बर, 2020 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 251वीं बैठक दिनांक 12 नवम्बर, 2020 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
252/3	श्री लखन सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, 05 प्रतिशत पेंशन रोके जाने का दण्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
252/4	श्री अब्दुल माजिद सिद्दीकी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध गठित जाँच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, 10 प्रतिशत पेंशन कटौती 10 वर्षों तक किये	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	जाने का दण्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।		
252/5	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, सम्प्रति सेवानिवृत्त उप आवास आयुक्त के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच को समाप्त किये जाने सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/6	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-01, वाराणसी सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच की सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/7	आवास विकास कालोनी छिबरामऊ जनपद-कन्नौज का नाम अटल नगर किये जाने के संबंध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण शासन को परिषद की आनापत्ति के साथ संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

252/8	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में 43 एम0एल0डी0 मेन पम्पिंग स्टेशन एवं 21.50 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0बी0आर0 पद्धति पर आधारित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण कार्य एवं 05 वर्ष का आपरेशनल तथा मेन्टेनेन्स का कार्य।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/9	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना से सटी हुई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्रताप विहार लिगेसी साइट से लिगेसी सॉलिड वेस्ट का बायो रिमेडिएशन पद्धति से निस्तारण कराने हेतु नगर निगम को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/10	वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में परिषद द्वारा रु0 5.00 करोड़ का अंशदान दिये जाने के सम्बन्ध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/11	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-2, सेक्टर-10बी,	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव

	लखनऊ में स्थित सामुदायिक केन्द्र को आनलाइन सिस्टम द्वारा बुकिंग को उपरान्त 50 प्रतिशत कटौती की धनराशि को वापस करने के संबंध में।		अनुमोदित किया गया।
252/12	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास(ए.एच.पी.) घटक के अन्तर्गत सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं में लाभार्थियों का अंशदान बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/13	Request for proposal (RFP) for selection of consultant (project consultant) for Concept Development and Technical Support for Real Estate and Allied Infrastructure with U.P. Avas Evam Vikas Parishad at Vasundhara Yojna, Ghaziabad के कार्य हेतु प्राप्त ई-निविदा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/14	वर्तमान सी0ई0टी0 कार्यालय को भूततल पर यथावत रखते हुए 05 अतिरिक्त अन्य तलों	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	एवं बेसमेंट (मैकेनिकल पार्किंग सहित) का निर्माण कार्य हेतु सैद्धान्तिक सहमति का प्रस्ताव।		
252/15	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/16	परिषद मुख्यालय के अन्तर्गत 30प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से संचालित सुरक्षा सेवा विस्तार के सम्बन्ध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त तीन वर्ष के लिए विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।
252/17	आवासीय भूखण्ड संख्या-10डी/09 वसुन्धरा योजना गाजियाबाद का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
252/18	परिषद योजनाओं के अन्तर्गत स्थित आवासीय सम्पत्तियों में तलों की अनुमन्यता हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से प्राप्त अभिमत के सापेक्ष, प्रस्ताव परिषद बोर्ड में प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि सी0टी0सी0पी0 कार्यालय द्वारा जो शर्त लगाई गई हैं उसका अनुपालन करें।

252/19	<p>परिषद की जागृति विहार विस्तार योजना संख्या-11 मेरठ में समाहित खसरा संख्या-239/1, (पार्ट) ग्राम सरायकांजी, पॉकेट-1 के तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदक मै० सेन्चुरी टैक्नोसर्व प्रा० लि०, मेरठ द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 28863/2019 में पारित आदेश के अनुपालन सहित वर्तमान में</p>	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	<p>अवमानना नोटिस के सापेक्ष प्रकरण का निस्तारण करने के सम्बंध में।</p>		
252/20	<p>परिषद के आदेश संख्या-5786 / प्रशा०-एक-268/2014(भाग-एक) दिनांक 27-10-2020 द्वारा सहायक अभियन्ता के 27 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाने से टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेस लिमिटेड के पत्र संख्या- टी०सी०एस०/यू०पी०एच०डी० बी०/2017/005 दिनांक 25-01-2017 द्वारा प्रस्तुत इन्वाइस के अनुसार भुगतान करने अथवा न करने के</p>	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव के संबंध में निर्णय लिया गया कि एजेंसी से उसके द्वारा सही मायने में जो खर्च आया है, के ब्योरे के साथ आगामी बैठक में रखा जाए।

	सम्बन्ध में।		
252/21	वास्तुविद सहायक ग्रेड-प्रथम नियमावली-1998 में संशोधन के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/22	सहायक वास्तुविद नियोजक नियमावली-1979 (यथा संशोधित-1989) के विनियमों में संशोधन के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी सभी नियमावली जिसमें उपरोक्त प्रकरण के समान संशोधन किये जाने हैं उन्हें आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।
252/23	परिषद की अवध विहार योजना (द्वितीय चरण) लखनऊ, लोहरामऊ योजना सुल्तानपुर, कोटद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना नजीबाबाद, सिविल लाइन्स योजना संख्या-2 भाग-2 बदायूँ, भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना झांसी, सूतमिल योजना इटावा व फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोण्डा में खोले गये भवनों एवं भूखण्डों के पंजीकरण में परिषद विनियम 2016 से इतर किये गये	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मुख्य विधि परामर्शदाता द्वारा उठाये गये बिन्दु पर नियम संगत कार्यवाही की जाए।

	संशोधनों के संबंध में।		
252/24	शहरी सहकारी आवास समितियों हेतु आदर्श उपविधि 2016 के विभिन्न उपबन्धों में संशोधन के सम्बन्ध में।	सहकारिता	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/25	वित्तीय वर्ष 2019-20 की बैलेन्सशीट/वार्षिक लेखों के अनुमोदन के संबंध में।	वित्त एवं लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/26	परिषद की 250वीं बैठक दिनांक 29-06-2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय पेंशनरी बेनीफिट्स सम्बन्धी शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	वित्त एवं लेखानुभाग	शासन के पत्र संख्या- 2791/आठ-2-2020- 3एच0बी0 (187)/16, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 दिनांक-27.11. 2020 के क्रम में शासनादेश सं0-39/2016-सा-3-923दस- 2016-308/2016 दिनांक 23.12.2016 को अंगीकृत करते हुए दिनांक 01.01.2016 से पूर्व पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों आदि की सप्तम वेतनमान में पेंशन संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया उक्त आदेश की व्यस्थायें दिनांक 01.01. 2016 से प्रकल्पित रूप से लागू होंगी तथा उनका

			वास्तविक लाभ दिनांक 01.04.2021 से अनुमन्य होगा।
252/27	कोविड-19 के दृष्टिगत सम्पत्तियों की किशतों पर ब्याज की दरों में एकरूपता रखने के संबंध में।	वित्त एवं लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा संशोधित दरों को दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी किया जाए।
252/28	वित्तीय वर्ष-2020-21 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष-2021-22 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	वित्त एवं लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/29	परिषद की 251वीं बैठक के विभिन्न मदों के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के अनुपालन किये जाने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
252/30	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थित भवन संख्या-बी-9(क्षेत्रफल 800.00 वर्गमी०) का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सी०टी०सी०पी० की राय के साथ प्रकरण का निस्तारण कराया जाए।

252/31	इन्दिरा नगर योजना के सेक्टर-25 स्थित जयन्ती स्मृति विहार पार्क में स्थित कियोस्क एवं पी0सी0ओ0 बूथ का कोविड-19 महामारी के कारण पूर्ण लाकडाउन एवं आंशिक लाक डाउन की अवधि का किराया माफ करने के सम्बन्ध में।	अनुरक्षण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/32	परिषद की विभिन्न योजनाओं में भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रत्येक प्रकरण पर प्रतिनिधायित शक्तियों के अन्तर्गत निर्णय लेने के उपरान्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ रखा जाए।
252/33	बहुमंजिली परियोजनाओं में 5 प्रतिशत फ्लैट अवशेष होने पर उन्हें सार्वजनिक नीलामी से निस्तारित किये जाने की प्रक्रिया को शिथलीकरण दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/34	परिषद की मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-7 में स्वयं वित्त पोषित योजना	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा

	के अन्तर्गत 1856 नग खोले गये सुपर डीलक्स बहुमंजिले फ्लैट्स का पंजीकरण को स्विच ओवर किये जाने के सम्बन्ध में।		यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अंतर धनराशि पर ब्याज न लिया जाए।
252/35	परिषद की राजाजीपुरम् योजना, लखनऊ में आवंटित भूखण्ड संख्या- 10बी0एस0-1 एवं 10बी0एस0-2 के आवंटन निरस्तीकरण पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णरूप से पालन करते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।
252/36	अवध विहार योजना, लखनऊ में निर्मित अवध शिल्पग्राम के संचालन हेतु संस्था के चयन हेतु मा0 निदेशक मण्डल द्वारा 251वीं बैठक के मद संख्या- 251/4 पर अनुमोदित आर0एफ0पी0 में संशोधन एवं उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के मध्य गठित होने वाले एम0ओ0यू0 के आलेख के संबंध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/37	परिषद में 16 नग निष्प्रयोज्य वाहनों के विरुद्ध कामर्शियल	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव



	वाहन(टैक्सी) सेवा प्रदाता फर्म से इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति किये जाने के संबंध में।		अनुमोदित इस शर्त के साथ किया गया कि वित्तीय नियमों का पालन हो तथा चार्जिंग की पर्याप्त सुविधा हो।
252/38	परिषद अधिवक्तागण को देय फीस के पुर्ननिर्धारण के संबंध में।	विधि	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/39	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या 4, लखनऊ में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-16बी/424 की रजिस्ट्री कराने हेतु आवंटी द्वारा सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन योजना, लखनऊ में रु0 1,36,300.00 के उपलब्ध कराये गये स्टाम्प पेपर, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से गायब हो जाने के कारण परिषद द्वारा आवंटी को स्टाम्प पेपर की प्रतिपूर्ति हेतु रु0 1,83,600.00 अवमुक्त किये जाने से परिषद को रु0 1,83,600.00 की वित्तीय क्षति होने के परिपेक्ष्य में, उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति/वसूली, निर्गत शासनादेश संख्या 13/78//83का-1-88 दिनांक 22	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	मार्च, 1988 के आलोक में श्री अवध शरण मेहरोत्रा, तत्कालीन लेखाकार के सम्प्रति उनकी सेवानिवृत्ति के दृष्टिगत उनकी ग्रेच्यूटी से उक्त कटौती किये जाने के संबंध में।		
252/40	प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी भवन 60 वर्ग मी० से कम) के अन्तर्गत प्लॉट नं० 8/बीएस-1 सेक्टर-8 गौड़ सिद्धार्थम, सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में निर्माण कार्य को आवास विकास परिषद द्वारा रोके जाने के संबंध में। (पिछली बैठक से)	भूमि अर्जन	प्रश्नगत प्रकरण में याचीगणों की सुनवाई करके बोर्ड द्वारा मत स्थिर किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बोर्ड के निर्णय से शासन को अवगत कराया जाये।
252/41	परिषद की झूँसी योजना सं०-3 प्रयागराज में समाविष्ट ग्राम-झूँसी कोहना के खसरा सं०-298 एवं 411 की भूमि क्रमशः 6 बिस्वा 10 विस्वांसी एवं 9 विस्वा 7 विस्वांसी कुल क्षेत्रफल 1760.00 वर्गमी० भूमि का आसुधार शुल्क लेकर योजना में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में आवेदक को बुलाकर व्यक्तिगत सुनवाई करके आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
252/42	मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4,	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का



	कानपुर की भूमि दर निर्धारण के संबंध में।		परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
252/43	वृन्दावन - योजना संख्या-2, भाग-1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-हवैतमऊ मवैया खसरा संख्या-124 ख रकवा 1-1-0-0 बिधा भूमि को वर्तमान व्यवसायिक दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
252/44	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में दिनांक 01-01-2016 से ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/45	परिषद की शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 मेरठ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-13/7(क्षेत्रफल 22.00वर्गमी0) स्थान पर जागृति विहार योजना संख्या-6 में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-06/सी0पी0-03 (क्षेत्रफल 205.52) से परिवर्तन किया जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दिनांक 29.10.1994 को हुयी नीलामी के उच्चतम बोलीदाताओं को समझौते के आधार पर 60 वर्गमीटर तक के भूखण्ड परिषद की जागृति विहार योजना, मेरठ आवंटित किये जाने के दृष्टिगत श्री दयाराम को वर्तमान व्यवसायिक दर+10 प्रतिशत

			60 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके उपरान्त यदि वह लेने को तैयार नहीं होता तो परिषद मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में वाद योजित कर सकती है।
252/46	परिषद की योजनान्तर्गत समितियों की भूमि के समायोजन के पश्चात देय विकास शुल्क के रि-शेड्यूलिंग के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/47	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में सेवारत/सेवानिवृत्त सैनिकों के अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
252/48	परिषद की राजेन्द्र नगर योजना संख्या-2, बरेली में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-एम0एल0टी0-01 की बकाया धनराशि की वसूली एवं रजिस्ट्री के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से निर्णय-31 में आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश से सहमति प्रकट की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक पूर्ण धनराशि न जमा हो जाए तब तक रजिस्ट्री न की जाए।
252/49	वृन्दावन योजना संख्या-1, लखनऊ में श्री आर0डी0 कुरील	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त मण्डलायुक्त

	को 450.00 वर्गमी० का भूखण्ड वर्तमान दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।		लखनऊ के स्तर से जाँच कराने के निर्देश दिये गये।
252/50	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना स्थित बल्क सेल भूखण्ड सं०-4 /बी०एस०-2/4 की विवाद रहित भूमि के नियोजन एवं कब्जे के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
252/51	परिषद की बहुमंजिली परियोजनाओं (फ्लैटों) में समूह पर आवेदन किये जाने पर छूट के संबंध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

252/52	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद-अयोध्या में संचालित भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या में समाविष्ट ग्राम-माँझा बरेहटा व ग्राम शाहनेवाजपुर माँझा को ग्रामीण क्षेत्र मानते हुए भू-स्वामियों की भूमि का प्रतिकर निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश सं० 763/आठ-2-2021-3 एच०बी०(01)/2021 आवास एवं शहरी अनुभाग-2 दिनांक 17.03.2021 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
--------	--	------------	---



	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।		
252/53	परिषद की वृन्दावन योजना के अविकसित घोषित होने के कारण ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-6सी/जी0एच0-4 को आवंटित एफ0ए0आर0 से अधिक अनुमन्य एफ0ए0आर0 को क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के रूप में प्रदान किये जाने वाली गणना में बेसिक एफ0ए0आर0 का पुननिर्धारण शासनादेश सं0-5136 के अनुसार अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव ग्रुप हाउसिंग भूखण्डसंख्या-6सी/जी0एच0-4 हेतु इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि सी0टी0सी0पी0 का अभिमत प्राप्त करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
252/54	परिषद स्टाफ भवन में अध्यासित परिषद कार्मिकों को निजी रूप से स्टाफ भवन आवंटित करने के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की अवधि 3 वर्ष से कम रह गयी है, उनके प्रकरण में 3 वर्ष के अध्यासन की बाध्यता को समाप्त कर दी जाये।
252/55	राजाजीपुरम योजना स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 12/4001/8ए, 12/4001/9ए, 12/4001/10ए एवं 12/4001/11ए के आवंटन,	सम्पत्ति	सर्व समति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।




पुनर्जीवन एवं दण्ड ब्याज मांफी पर निर्णय लिये जाने के संबंध में।		
--	--	--

अनुमोदित


आवास आयुक्त

अध्यक्ष


25/03/21

अध्यक्ष